कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला ग्वालियर (म0प्र0)

क्रमांक: क्यू/धारा–144/एडीएम/623/2020 ग्वालियर, दिनांक: 16 07.2020

।। आ दे श ।।

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रकिया सहिंता 1973)

कोरोना संक्रमण महामारी को दृष्टिगत रखते हुए ग्वालियर नगर निगम सीमान्तर्गत दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के तहत दिनांक 14.07.2020 के सायंकाल 07.00 बजे से 21.07.2020 की रात्रि 12.00 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। उक्तादेश द्वारा फल, सब्जी का विक्रय, पीडीएस का वितरण एवं होम डिलीवरी संबंधी गतिविधियां पृथक से आदेश जारी होने के दिनांक तक बंद की गयी थीं।

अतः कर्फ्यू अवधि में फल, सब्जी , पीडीएस की दुकानें एवं होम डिलीवरी हेतु निम्नानुसार शिथिलता प्रदाय की जाती है :–

नगर निगम सीमान्तर्गत गतिविधियां जो कर्फ्यू के दौरान संचालित रहेंगी
प्रातः 06.00 से प्रातः 10.00 बजे तक शहरी क्षेत्रों में पीडीएस की दुकानें खुलेंगी।
सब्जी मण्डी – ग्वालियर नगर निगम सीमा क्षेत्र में पूर्व संचालित सभी सब्जी मण्डीयां बंद रहेंगीं अधोलिखित 10 विकय केन्द्रों से सब्जी का विक्रय होलसेलर, सेमी होलसेलर एवं फुटकर व्यापारियों द्वारा किया जा सकेगा :– 1–रामलीला मैदान, मुरार 2–मेला ग्राउंड कमांक–1 3–मेला ग्राउंड कमांक–2 4–मेला ग्राउंड कमांक–3 5–मेला ग्राउंड कमांक–4 6–हजीरा मनोरंजनालय का मैदान 7–आनंद नगर वीनस पब्लिक स्कूल के पीछे मैदान 8–तिघरा रोड एस.आर.मेमोरियल के पास 9–पोलीटेक्निक कॉलेज झांसी रोड 10–गिरवाई नाके के पास, बिजली घर के बगल में **सब्जी विकय हेतु समय सारणी** 1– रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 04.00 बजे तक – बाहर से आने वाले सब्जी विकेताओं से होलसेल लायसेंसधारियों से कय–विकय 2– प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक– थोक लायसेंसधारियों से सेमीहोलसेलर एवं फुटकर विकेताओं द्वारा कय–विकय 3– प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक – चलित हाथ ठेलों के माध्यम से नगर निगम सीमा क्षेत्र में ग्राहकों को विकय
फल मण्डी – 1– रात्रि 12.00 बजे से प्रातः 04.00 बजे तक मोतीझील स्थित फल मण्डी में बाहर से आने वाले फल विकेताओं से होलसेल लायसेंसधारियों से कय–विकय 2– प्रातः 04.00 बजे से प्रातः 07.00 बजे तक छत्री मण्डी स्थित फल मण्डी से थोक लायसेंसधारियों से सेमी होलसेलर एवं फुटकर विकेताओं को विकय 3– प्रातः 07.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक – चलित हाथ ठेलो के माध्यम से नगर निगम सीमा क्षेत्र में ग्राहकों को विकय
कृषि एवं अन्य संबंधित गतिविधियां **प्रातः 06.00 से 12.00 बजे तक** 1–शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में खाद, बीज, कीटनाशक की निजी, मार्कफैड गोडाउन तथा प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के विकय केन्द्र 2–ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र रिपेयरिंग दुकान 3–रायरू तथा डबरा रैक प्वाइंट से उर्वरक डबल लॉक केन्द्र तथा थोक फुटकर विकेताओं तक परिवहन 4–खरीफ फसल उत्पादन के दृष्टिगत कृषक का खेतों पर कार्य

Scanned with CamScanner

होम डिलीवरी–
प्रातः 06.00 बजे से सांयकाल 07.00 बजे तक (servegwalior/namasteg/zomatto/swiggy/amazone/flipkard नगर निगम आदि के) तथा माध्यम एप्स MPCCI (https://play.google.com/store.aps/details?id=com.maadhyam) से किया जा सकेगा।

उक्त समस्त गतिविधियां संचालन हेतु कोरोना वायरस (कोविड–19) से बचाव एवं रोकथाम हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना आवश्यक होगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 में वर्णित अनुसार दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

पुलिस अधीक्षक ग्वालियर, इंसीडेंट कमांडर एवं सचिव कृषि उपज मण्डी समिति उक्तादेश का प्रभावी कियान्वयन सुनिश्चित करेंगे।

यह आदेश ग्वालियर जिले में निवासरत प्रत्येक नागरिक को सम्यक् रूप से व्यक्तिशः तामील कराया जाना संभव नहीं है, अतः सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है। अपरसंचालक जन सम्पर्क जिले से प्रकाशित सभी समाचार–पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में निःशुल्क प्रकाशन और प्रसारण कराया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 16.07.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(कौशलेन्द्र विक्रम सिंह)
जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर, म0प्र0

पृ.क्रमांकः क्यू/स्टेनो/एडीएम/623 /2020 ग्वालियर, दिनांकः 16/07/2020

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म0प्र0शासन, गृह विभाग, मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल
2. आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर
3. ए0डी0जी0/आईजी ग्वालियर रेंज ग्वालियर
4. पुलिस अधीक्षक, जिला ग्वालियर
5. आयुक्त नगर निगम ग्वालियर
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, ग्वालियर
7. समस्त अपर कलेक्टर/एडीएम
8. समस्त इन्सीडेंट कमान्डर्स
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर
10. जिला खाद्य नियंत्रक ग्वालियर
11. सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति ग्वालियर
12. जिला आबकारी अधिकारी, ग्वालियर
13. अध्यक्ष/सचिव म0प्र0चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं कैट एसोसिएशन ग्वालियर
14. जनसम्पर्क अधिकारी जिला ग्वालियर।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला ग्वालियर, म0प्र0

Scanned with CamScanner